न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी RAS

राजस्व वाद सं0 50/2002

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1 रामसिंह पुत्र रणछोड़सिंह
जति राजपूत निवासी
मेवानगर तहसील पचपदरा

2 तेजसिंह पुत्र रामसिंह
जति राजपूत निवासी
मेवानगर उप तहसील
जसोल तहसील पचपदरा
जिला बाडमेर
(मुखत्यार खास वादी सं. 1 रामसिंह)

बनाम

प्रतिवादीगण

1 सुमेरमल पुत्र रूगनाथमल
जाति ओसवाल निवासी रावली
गली, बालोतरा तहसील पचपदरा

2 श्रीमति रामेश्वर पत्नि बाबुलाल
(पुत्र मुल्तानमल) जाति ओसवाल
निवासी पुराना घांचियों का वास
बालोतरा

3 मुनि प्रवीण विजय, पारसधाम,
नाकोडा रोड सरहद मेवानगर
तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर (फौत डिलिट)

4 राजस्थान राज्य प्रतिनिधि भूमि
धारक तहसीलदार, पचपदरा

5 आसूसिंह गोद पुत्र लखसिंह
जति राजपूत निवासी मेवानगर
(फोत) के कारण कायम मुकाम

5/1 वनपालसिंह पुत्र स्व. आसूसिंह
5/2 कृष्णपालसिंह पुत्र स्व. आसूसिंह
5/3 भंवर कंवर पत्नि स्व. आसूसिंह
सभी जाति राजपूत नि0 मेवानगर

6 भैरूसिंह पुत्र पेपसिंह जाति
राजपूत निवासी जोधपुर तहसील
जोधपुर

7 कुम्भसिंह पुत्र अमरसिंह जाति [illegible]
निवासी जोधपुर तहसील व जिला
जोधपुर

8 राजेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह चौहान
जति राजपूत निवासी मयूर नोब्लस
ऐकेडमी के पास गांधीनगर, बाडमेर
तहसील व जिला बाडमेर

9 जोगेन्द्रसिंह पुत्र तनसिंह चौहान
जति राजपूत निवासी मयूर नोब्लस
ऐकेडमी के पास गांधीनगर, बाडमेर
तहसील व जिला बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Son
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

जस्व वाद अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा, अभिलेख सुधार, जरिये नक्शा तरमीम
थायी निषेधाज्ञा व्यादेश
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितिः– 1. श्री नरपतसिंह भाटी प्रतिवादी संख्या 05/1 ता 5/3
2. श्री जेठाराम सिंहल अधिवक्ता प्र.वा.सं. 8,9

निर्णय **दिनांक 31.05.2022**

प्रतिवादी संख्या 5/1 ता 5/3 की और से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनवान प्रकरण के वादी रामसिंह का देहान्त......... को हुआ, उनके विधिक वारिस 1. भलेसिंह, 2. तेजसिंह, 3. महेन्द्रसिंह है। उनकी और से बतौर विधिक वारिस प्रार्थना–पत्र अनवान प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में मृतक आसूसिंह की और से प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी व आसूसिंह के अलावा शेष प्रतिवादीगण सभी बतौर प्रतिवादीगण है, अर्थात वादी मृतक रामसिंह भी उक्त प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी ही है। इसलिए प्रतिवाद पत्र में मृतक रामसिंह के विधिक वारिसान 1/1 ता 1/3 को बतौर पक्षकार रामसिंह की जगह बनाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश है।

उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोरोना काल में म्याद के बिन्दु पर दिनांक 31.03.2022 के बाद तमाम प्रकार के प्रकरणों में म्याद का बिन्दु शुरू होता है अर्थात उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.03.2022 के बाद 90 दिन के भीतर पेश है, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अन्दर म्याद पेश है।

अन्त में निवेदन किया गया कि अनवान प्रकरण में वादी मृतक रामसिंह के विधिक वारिसान 1/1 ता 1/3 को बतौर आवश्यक पक्षकार बनाये जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह वादी रामसिंह का जायंदा पुत्र था। प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह तारीख 30.01.2019 को फौत होने पर उसके वारिसान के द्वारा मृतक आसुसिंह के वारिसान को रकर्ड पर लाये जाने का आवेदन दिनांक 12.03.2019 को पेश किया गया था, जिस पर मृतक आसुसिंह के वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया था।

अनवान वाद में वादी रामसिंह का देहान्त रेकर्ड पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार तारीख 16.07.2019 को हो चुका था एवं विधिक प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व 4 सी पी सी एवं म्याद अधिनियम आर्टिकल 120 के तहत 90 दिवस के भीतर भीतर रेकर्ड पर लाया जाना था, अन्यथा वादी रामसिंह का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था। प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह के वर्तमान वारिसान के द्वारा अपने पिता की फोतगी पर तत्काल [illegible] उनके रेकर्ड पर लाने की कार्यवाही कर दी गई थी, तो अपने दादा रामसिंह [illegible] तगी [illegible] कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाने की दिनांक 16.07.2019 [illegible] दिनांक 24 [illegible] कार्यवाही न किये जाने का कोई माकुल व उचित आधार [illegible] है।

विधिक प्रावधानों के तहत 90 दिवस के भीतर कायम मुकामों को रेकर्ड [illegible] नहीं लिया जाता हैं, तो वाद/प्रतिवाद स्वतः ही अबेट हो जाता हैं एवं अबेटमेन्ट में स्वतः [illegible] निरस्त हो जाता है, उसके लिये अदालत का कोई स्पष्ट आदेश होना किसी भी रूप से आवश्यक नही है एवं वाद अबेटमेन्ट में खारिज हो जाने के पश्चात म्याद अधिनियम का आर्टिकल 121 के तहत 60 दिवस के भीतर अबेटमेन्ट को सेटेसाईट करने का आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Son
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रकरण मे वादी रामसिंह का देहान्त दिनांक 16.07.2019 को हो चुका था एवं उसके वारसान को रेकर्ड पर लाये जाने की म्याद 90 दिवस की अवधि दिनांक 15.10.2019 को ही समाप्त हो चुकी थी एवं म्याद अधिनियम का आर्टिकल 121 के तहत 60 दिवस की अवधि भी दिनांक 15.12.2019 को ही समाप्त हो चुकी थी।

प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह के कायम मुकामों के द्वारा आज दिन तक अदालत श्री के समक्ष अबेटमेन्ट के सेटेसाईट करने का कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया है एवं वास्तव में अबेटमेन्ट सेटेसाईट की म्याद दिनांक 15.12.2019 को समाप्त हो चुकी थी। जिससे इस स्टेज पर प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामो का आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी पी सी सुनवाई योग्य नहीं रहता हैं एवं प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 5/1 ता 5/3 की और से आदेश 22 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की और से पद वार जवाब प्रस्तुत किया हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामों के द्वारा बदनियति से एव अदालत श्री को गुमराह करने व धोखा देने की नियत से रामसिंह अपने दादा के देहान्त की तारीख अंकित नहीं की है जबकि रामसिंह का देहान्त दिनांक 16.07.2019 को ही हो चुका था। मृतक आसु सिंह के द्वारा पेश काउन्टर क्लेम से यह स्पष्ट हैं कि मृतक आसुसिंह के द्वारा अन्य प्रतिवादीगण से इस्तदुआ चाहे लाने हेतु काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। जिससे आदेश 8 नियम 6(ए) सी पी सी के प्रावधानों के तहत किसी भी प्रतिवादी के विरूद्ध प्रतिवादी काउन्टर क्लेम पेश नहीं कर सकता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 का काउन्टर क्लेम अपने जायंदा पिता राम सिंह के विरूद्ध भी होना तान भी लिया जाये तो आदेश 8 नियम 6(ए)(2) सी पी सी के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह का काउन्टर क्लेम एज ए सुट की तरह ही कंटेस्ट किया जा सकता हैं, एवं स्वंय रामसिंह का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था तो प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह का काउन्टर क्लेम वादी रामसिंह के विरूद्ध स्वतः ही दिनांक 15.12.2019 को अबेट हो चुका था।

प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल ही गलत तरीके से विवेचन किया गया है। रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि वादी रामसिंह का देहान्त 16.07.2019 को ही हो चुका था एवं वादी रामसिंह का वाद दिनांक 15.10.2019 को ही अबेट हो चुका था एवं अबेटमेन्ट को सेटेसाईट करने की म्याद दिनांक 15.12.2019 को समाप्त हो चुकी थी।

वादी रामसिंह के देहान्त व अबेटमेन्ट को सेटेसाईट के समय तारीख 15.12.2019 को किसी भी प्रकार का कोई कोविड–19 भी नहीं था एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शो मोटो प्रकरण में तारीख 10.01.2022 के निर्णय के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.03.2022 से 28.02.2022 तक की अवधि की म्याद में रि[illegible] जिससे यह स्पष्ट हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वर्तमान प्रकरण में लागु ही नहीं [illegible] हैं एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.03.2022 से पूर्व समाप्त हो [illegible] म्याद में छूट देने की किसी प्रकार के कोई निर्देश नहीं हैं। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह के कायम मुकामों के द्वारा वादी रामसिंह के कायम मुकामों के रेकर्ड पर लिये जाने का आवेदन पत्र विधिक प्रावधानों से बाधित होने से प्रथम दृष्टया काबिल खारिज के योग्य हैं।

Signature Not Verifi
Digitally signed by Nares
Date: 2022.10.01 19:00:
Reason: SelfAttested

अन्त में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामों की ओर से वादी रामसिंह के कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाये जाने का पेश किया गया आवेदन पत्र दिनांक 24.05.2022 को भारी खर्चो के साथ अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5/1 ता 5/3 की और से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

...च्च न्यायालय द्वारा कोरोना काल में म्याद के बिन्दु पर दिनांक 31.03.2022 के बाद तमाम ...र के प्रकरणों में म्याद का बिन्दु शुरू होता है अर्थात उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.03. ...22 के बाद 90 दिन के भीतर पेश है, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अन्दर म्याद पेश है। फिर भी कोरोना काल अवधि दिनांक 15.03.2022 से 28.02.2022 तक की अवधि की म्याद मानी जावे तो वादी रामसिंह के कायम मुकाम अन्दर म्याद 90 दिन के भीतर–भीतर प्रस्तुत किये जा चुके है, इसलिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कायम मुकाम को अन्दर म्याद पेश होने से रेकर्ड पर लिये जावे। अदालत श्री दिनांक 01.08. 2020 से 16.12.2020 तक कोर्ट लगा ही नहीं था ऐसी स्थिति में कायम मुकाम अन्दर म्याद प्रस्तुत किये जा चुके है, अंत में निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 05 का प्रतिदावा वादी एवं प्रतिवादीगण सभी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है, इसलिये प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर मृतक रामसिंह के कायम मुकाम को अन्दर म्याद प्रस्तुत करने से रेकर्ड लिये जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 5 मृतक आसुसिंह के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि वादी का वाद अबेट हो भी जाता हैं तो भी प्रतिवादी संख्या 5 मृतक आसुसिंह की ओर से पेश किये गये काउन्टर क्लेम यथावत जारी रहेगा।

वकील प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का यह कथन है कि वादी रामसिंह दिनांक 16.07. 2019 को फौत हो चुका था, इस कथन को वादी के अधिवक्ता के द्वारा भी इंकार नहीं किया गया है एवं रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि वादी रामसिंह का देहान्त 16.07.2019 को हो जाने से आदेश 22 नियम 3 व 4 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत वादी का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका हैं, जिससे वादी का वाद अबेटमेन्ट में खारिज फरमाया जावे। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गयेः–

1. माननीय सवोच्च न्यायालय के द्वारा पाररित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022
2. 2019 (1)DNJ (Raj)-316 Legal heirs of Narayan Das Vaishnav Vs Nagar Palika Mandal Jaisalmer
3. 2013(2) 339 CIVIL COURT CASES 339- 341 Man singh Vs District Judge , Ghazipur & Ors

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रतिवादी संखया 8 व 9 के द्वारा वादी के विरूद्व काउन्टर क्लेम पेश किया गया हैं, जो वादी का वाद पत्र स्वतः ही अबेट हो जाने से काउन्टर क्लेम वादी के विरूद्व चलाना नहीं चाहता है एवं वादी का वाद अबेट होने से प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का काउन्टर क्लेम स्वतः ही खारिज हो जाता हैं।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा म्याद अधिनियम के आर्टिकल 120 का अवलोकन कराते हुए यह कथन किया गया कि मृत्यु होने के 90 दिवस के भीतर भीतर मृतक के कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाया जाना आवश्यक होता हैं एवं वादी का वाद आर्डर 22 नियम 3 व 4 सी.पी.सी. के तहत प्रावधानों के तहत स्वतः ही अबेट हो जाता हैं एवं अबेटमेन्ट को सेटेसाईट करने के लिए आर्टिकल 121 के तहत 60 दिवस की म्याद निर्धारित हैं, किन्तु नियत परिसीमा अवधि तक वादी के कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाने एवं अबेटमेन्ट सेटेसाईट करने ... कोई आवेदन पत्र पेश नहीं किया गया हैं, जिससे स्पष्ट हैं कि वादी का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका हैं, जिससे अबेटमेन्ट में खारिज फरमाया जा... से किसी भी पक्षकार के ... वादी रामसिंह का दिनांक 16.07.2019 ... रामसिंह के देहान्त के द्वारा इंकार नहीं किया गया हैं एवं रेकर्ड से यह ... लाये जाने हेतु परिसीमा अवधि में पश्चात वादी रामसिंह के कायम मुकामों को रेकर्ड पर ... कार्यवाही नहीं की गई हैं, जिससे वादी का वाद स्वतः ही अबेट हो जाता हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा किये गये कथनों के विरोध में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी रामसिंह का ही जायंदा पुत्र हैं एवं अपने आपको रामसिंह के चचेरे भाई लखसिंह की पत्नि श्रीमती अन्तर कंवर के द्वारा लखसिंह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(RRC) ...

फौतगी के पश्चात लगभग 15–16 साल बाद गोद लिया गया था एवं रेकर्ड पर उपलब्ध नामान्तरकरण एवं बेचान से यह स्पष्ट हैं कि अन्तर कंवर ने अपने हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 227 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा भूमि को दिनांक 07.06.1995 को श्री वीरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर को बेचान किया गया हैं एवं प्रतिवादी संख्या 5 आसुसिंह को लखसिंह की पत्नी अन्तर कंवर के द्वारा वर्ष 1992 में गोद लिया गया हैं जबकि उक्त बेचान अन्तर कंवर के द्वारा ही किया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा जो काउन्टर क्लेम पेश किया गया हैं, उसका भी अवलोकन किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा पेश किये गये काउन्टर क्लेम से यह स्पष्ट हैं कि काउन्टर क्लेम में मृतक आसुसिंह के द्वारा वादी के विरुद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्व इस्तदुआ चाही गई है। जिससे भी प्रतिवादी संख्या 5 का काउन्टर क्लेम प्रारम्भिक स्टेज पर ही चलने काबिल ही नहीं रहता है, इस सम्बन्ध में पतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा विधिक प्रावधान आदेश 8 नियम 6 (ए) सी.पी.सी. का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कोई भी प्रतिवादी अपना काउन्टर क्लेम पेश कर सकता है एवं उसका काउन्टर क्लेम आदेश 8 नियम 6 (ए) (2) सी.पी.सी. के तहत काउन्टर क्लेम को भी क्रोस सुट होना माना जाएगा एवं प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा पेश काउन्टर क्लेम के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके द्वारा वादी के विरूद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व ही इस्तदुआ चाही गई है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा 2013 (2) सिविल कोर्ट कैसेज 339 मानसिंह बनाम डिस्ट्रीक्ट जज, गाजीपुर के निर्णय का अवलोकन किया गया कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम अन्य प्रतिवादी के विरूद्व पेश नहीं कर सकता है, जिससे प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा पेश काउन्टर क्लेम भी मेन्टेनेबल नहीं रहता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 जो वादी रामसिंह का जायंदा पुत्र है एवं उसके वारिसान का भी यह दायित्व था कि रामसिंह की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाये जाने की निर्धारित परिसीमा अवधि में कार्यवाही की जाती, किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामों के द्वारा भी रामसिंह के कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाये जाने की परिसीमा अवधि मे कोई कार्यवाही नहीं की गई, एवं प्रतिवादी संख्या 5 का काउन्टर क्लेम होना भी माना जावे तो उसका काउन्टर क्लेम क्रोस सुट की तरह ही सुनवाई योग्य रहता है एवं वादी का वाद अगर अबेटमेन्ट में खारिज होता है तो प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम अबेटमेन्ट में खारिज हो जाता है।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादी रामसिंह के द्वारा बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर वर्ष 2002 में पेश किया गया एवं गत 20 साल से अदालत में वाद विचाराधीन है एवं वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा मुगालता व धोखा देकर बेचाननामा निष्पादित करवाने का कथन किया गया है एवं रेकर्ड पर उपलब्ध बेचाननामों से यह स्पष्ट है कि बेचाननामें वर्ष 1976 के है एवं वादी रामसिंह के द्वारा वाद वर्ष 2002 में पेश किया गया एवं वर्ष 2002 तक पंजीकृत बेचाननामों को मन्सुख किये जाने की कोई कार्यवाही नही की गई एवं वादी रामसिंह के द्वारा अपने मुखालफाने कब्जे के आधार पर ही खातेदारी हकूक मागें गये है एवं राजस्व विधि का यह स्पष्ट है कि ममुखालफाने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी नहीं दिये जा सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादी रामसिंह के द्वारा वर्तमान वाद वर्ष 2002 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सुमेरमल व ... के विरुद्ध धोखा व मुगालता देकर भूमि खरीद पंजीकृत बेचाननामों का कथन करते हुए यह वाद पेश किया गया है एवं रेकर्ड पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 583 तारीख 17.07.1997 को प्रतिवादी संख्या 1 सुमेरमल ने वादग्रस्त भमि के खातेदारी हकूक तारचन्द मोहनलाल लूणवत वगैरा को बेचान दिनांक 25.11.1995 को कर दिया, नामान्तरकरण संख्या 630 दिनांक 08.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वरीदेवी के द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक राजेन्द्र

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

मेहता व विद्या गोलेच्छा वगैरा को बेचान दिनांक 10.07.1997 को बेचान कर दिया, नामान्तरकरण संख्या 631 दिनांक 08.12.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 सुमेरमल ने वादग्रस्त भूमि के खातेदारी हकूक विनित जैन वगैरा को बेचान दिनांक 14.10.1998 को कर दिया गया था एवं राजस्व अभिलेख में उक्त खरीददारों के नाम दर्ज हो चुके थे एवं वादी रामसिंह ने उक्त तथ्यों को छिपाकर एवं खातेदारी हकूक उक्त खरीददारों के होते हुए भी अदालत को गुमराह करने की नियत व इरादे से उक्त खरीददारों को पक्षकार ही नहीं बनाया गया जबकि राजस्व अभिलेख के अनुसार वर्ष 2002 में रामसिंह के द्वारा पेश किये गये उक्त खरीददार आवश्यक पक्षकार भी थे, एवं आवश्यक पक्षकारों के अभाव में वादी रामसिंह का वाद दक्त आधार पर भी सुनवाइ योग्य नहीं रहता है एवं वादी के वाद को किसी भी स्तर पर इस प्रकार के तथ्यहीन व सारहीन एवं विधि विरूद्व व म्याद बाहर को किसी भी स्टेज पर खारिज किया जा सकता है।

पक्षकारों के द्वारा उक्त बहस के मध्य नजर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बंधित पेश नजीरों का अवलोकन किया गया। रेकर्ड से यह स्पष्ट है कि वादी रामसिंह का देहान्त दिनांक 16.07.2019 को हो चुका था एवं उसके कायम मुकामों को रेकर्ड पर लाये जाने का आवेदन पत्र परिसीमा तक पेश नहीं हुआ हैं। जिससे विधिक प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व 4 सी.पी.सी. एवं म्याद अधिनियम के आर्टिकल 120 के तहत 90 दिवस में कायम मुकामों को रेकर्ड पर नहीं लाया गया एवं वादी का वाद उक्त कानूनी प्रावधानों के तहत स्वतः ही अबेट हो चुका है एवं अबेटमेन्ट को सेटेसाईट करने हेतु म्याद अधिनियम के आर्टिकल 121 के तहत 60 दिवस की अवधि निर्धारित है एवं उक्त 60 दिन की अवधि में अबेटमेन्ट को सेटेसाईट करने का कोई आवेदन पत्र वादी रामसिंह के कायम मुकामों के द्वारा पेश नहीं किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा पेश किया गया काउन्टर क्लेम अन्य प्रतिवादी के विरूद्व होने से प्रतिवादी संख्या का काउन्टर क्लेम वादी रामसिंह के विरूद्व होना मान लिया भी जाए तो काउन्टर क्लेम स्वतः ही खारिज हो जाता हैं क्योंकि आदेश 8 की धारा 6क (4) के तहत प्रतिदावे को वाद पत्र के रूप में ही माना जावेगा और उसे वही नियम लागू होगें जो वाद पत्र को लागू होते है। इस प्रकार भी प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा पेश किया गया काउन्टर क्लेम भी वादी के कायम मुकाम रेकर्ड पर न आने से स्वतः ही खारिज हो जाता है। वादी का वाद स्वतः ही अबेट हो जाने से इस्तदुआ प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की काउन्टर क्लेम भी वादी के कायम मुकाम रेकर्ड पर न आने से स्वतः ही खारिज हो जाता है।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के अधिवक्ता के द्वारा वादी के वाद का भी अवलोकन किया गया जिसका भी पूर्ण रूप से मनन किया गया। वादी के वाद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी रामसिंह ने खरीददारों को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अपने जीवनकाल में वर्ष 1976 में किये गये पंजीकृत बेचाननामों को मन्सुख करवाने की कोई कार्यवाही न करते हुए वर्तमान वाद वर्ष 2002 में पेश किया गया एवं वाद भी मुखलफाने कब्जे के आधार पर खातेदारी हकूकों की मांग की गई हैं, जिससे वादी राजस्व विधि के अनुसार मुखालफाने के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं रहता है। इसी न्यायालय में इसी विषय वस्तु के संबंध में राजस्व वाद संख्या 53/1990 अनवान अन्तर कंवर बनाम सुमेरमल वगैराह अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्तकारी अधि0 दिनांक 20.06.1990 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 02.03.1994 को [illegible] बैनामों को प्रभाव शून्य घोषित करने का दावा पेश किया जो इस न्यायालय के [illegible] का नहीं है? उक्त तनकी के आधार पर पारित निर्णय में वादीनी [illegible] शून्य घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, इस कारण जब तक सिविल न्यायालय से युक्ति युक्त आदेश नहीं मिल जाता तब तक [illegible]षणा व स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जा चुका था, जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 25/1994 अनवान अन्तर कंवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

नाम सुमेरमल वगैराह प्रस्तुत की गई जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा दिनांक 11.09.1995 को अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा नोट प्रेस करने पर खारिज किया गया था। जिससे वादी राजस्व विधि के अनुसार मुखालफाने के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं रहता है। प्रतिवादी संख्या 5 अन्तर कंवर गोदपुत्र था जिसे उक्त वाद की पूर्ण जानकारी थी फिर भी उक्त तथ्यों को इस वाद में छिपाया गया है, वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिदावा में बैचाननामें को प्रभाव शून्य घोषित करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

उपरोक्त तमाम वाक्यातों एवं तथ्यों पर विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकाम के द्वारा विधिक प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व 4 सी पी सी एवं म्याद अधिनियम आर्टिकल 120 के तहत 90 दिवस के भीतर भीतर रेकर्ड पर लाया जाना था, अन्यथा वादी रामसिंह का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था। प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामों के द्वारा रामसिंह अपने दादा के देहान्त की तारीख अंकित नहीं की है जबकि रामसिंह का देहान्त दिनांक 16.07.2019 को ही हो चुका था। विधिक प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व 4 सी.पी.सी. एवं म्याद अधिनियम के आर्टिकल 120 व 121 के तहत 150 दिवस में कायम मुकामों को रेकर्ड पर नहीं लाया गया माननीय सवोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित कोरोना काल अवधि दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि से पूर्व ही वादी के कायम मुकाम पेश करने की म्याद अवधि दिनांक 15.12.2019 को पूर्ण हो जाने से प्रतिवादी संख्या 5/1 ता 5/3 की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र म्याद बाहर होने से वादी रामसिंह का वाद स्वतः ही अबेट हो जाने से एवं वाद पत्र में महत्वपूर्ण व आवश्यक क्रेतागण को पक्षकारान संयोजित नहीं करने से एवं मुखालफाने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाने एवं राजस्व वाद संख्या 53/1990 अनवान अन्तर कंवर बनाम सुमेरमल अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्तकारी अधि0 दिनांक 20.06.1990 को इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 02.03.1994 को तनकी संख्या 3 वादीनी बैचाननामें को प्रभाव शून्य घोषित करने का दावा पेश किया जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं के आधार पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जा चुका था, जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 25/1994 अनवान अन्तर कंवर बनाम सुमेरमल वगैराह प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.09.1995 को अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा नोट प्रेस करने पर खारिज किया गया था। सन् 1976 में किये गये पंजीकृत बेचाननामों को मन्सुख किये जाने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 का काउन्टर क्लेम को भी खारिज किये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। इसी अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1 रामसिंह पुत्र रणछोड़सिंह
जति राजपूत निवासी
मेवानगर तहसील पचपदरा

2 तेजसिंह पुत्र रामसिंह
जति राजपूत निवासी
मेवानगर उप तहसील
जसोल तहसील पचपदरा
जिला बाडमेर

(मुखत्यार खास वादी सं. 1 रामसिंह)

बनाम

प्रतिवादीगण

1 सुमेरमल पुत्र रूगनाथमल
जाति ओसवाल निवासी रावली
गली, बालोतरा तहसील पचपदरा

2 श्रीमति रामेश्वर पत्नि बाबुलाल
(पुत्र मुल्तानमल) जाति ओसवाल
निवासी पुराना घांचियों का वास
बालोतरा

3 मुनि प्रवीण विजय, पारसधाम,
नाकोडा रोड सरहद मेवानगर
तहसील पचपदरा जिला
बाडमेर (फौत डिलिट)

4 राजस्थान राज्य प्रतिनिधि भूमि
धारक तहसीलदार, पचपदरा

5 आसूसिंह गोद पुत्र लखसिंह
जति राजपूत निवासी मेवानगर
(फोत) के कारण कायम मुकाम

5/1 वनपालसिंह पुत्र स्व. आसूसिंह

5/2 कृष्णपालसिंह पुत्र स्व. आसूसिंह

5/3 भंवर कंवर पत्नि स्व. आसूसिंह
सभी जाति राजपूत नि0 मेवानगर

6 भैरूसिंह पुत्र पेपसिंह जाति
राजपूत निवासी जोधपुर तहसील
जोधपुर

7 कुम्भसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
निवासी जोधपुर तहसील व जिला
जोधपुर

8 [illegible] सिंह [illegible] सिंह चौहान
जति रा[illegible] निवा[illegible] यूर नोब्लस
ऐकेडमी के [illegible] बाडमेर
तहसील व जिला बाडमेर

9 जोगेन्द्रसिंह पु[illegible]सिंह चौहान
जति राजपूत निवासी मयूर नोब्लस
ऐकेडमी के पास गांधीनगर, बाडमेर
तहसील व जिला बाडमेर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा, अभिलेख सुधार, जरिये नक्शा तरमीम स्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या :– 50 / 2002

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 5/1 ता 5/3 मिनजानिब श्री जेठाराम सिंहल अधिवक्ता प्र.वा.सं. 8,9 वकील प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकाम के द्वारा विधिक प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व 4 सी पी सी एवं म्याद अधिनियम आर्टिकल 120 के तहत 90 दिवस के भीतर भीतर रेकर्ड पर लाया जाना था, अन्यथा वादी रामसिंह का वाद स्वतः ही अबेट हो चुका था। प्रतिवादी संख्या 5 के कायम मुकामों के द्वारा रामसिंह अपने दादा के देहान्त की तारीख अंकित नहीं की है जबकि रामसिंह का देहान्त दिनांक 16.07.2019 को ही हो चुका था। विधिक प्रावधान आदेश 22 नियम 3 व 4 सी.पी.सी. एवं म्याद अधिनियम के आर्टिकल 120 व 121 के तहत 150 दिवस में कायम मुकामों को रेकर्ड पर नहीं लाया गया माननीय सवोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित कोरोना काल अवधि दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि से पूर्व ही वादी के कायम मुकाम पेश करने की म्याद अवधि दिनांक 15.12.2019 को पूर्ण हो जाने से प्रतिवादी संख्या 5/1 ता 5/3 की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र म्याद बाहर होने से वादी रामसिंह का वाद स्वतः ही अबेट हो जाने से एवं वाद पत्र में महत्वपूर्ण व आवश्यक क्रेतागण को पक्षकारान संयोजित नहीं करने से एवं मुखालफाने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाने एवं राजस्व वाद संख्या 53/1990 अनवान अन्तर कंवर बनाम सुमेरमल अन्तर्गत धारा 88,188 राज0काश्तकारी अधि0 दिनांक 20.06.1990 को इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 02.03.1994 को तनकी संख्या 3 वादीनी बैचाननामें को प्रभाव शून्य घोषित करने का दावा पेश किया जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं के आधार पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त दावा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जा चुका था, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील संख्या 25/1994 अनवान अन्तर कंवर बनाम सुमेरमल वगैराह प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.09.1995 को अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा नोट प्रेस करने पर खारिज किया गया था। सन् 1976 में किये गये पंजीकृत बेचाननामों को मन्सुख किये जाने की कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरूप वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 5, 8 व 9 का काउन्टर क्लेम को भी खारिज किये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.05.2022 को जारी की गई।

(S.D.O.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:00:24 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुददयलाह	[illegible]	
स्टाम्प अरजीदावा	4/–		स्टाम्प [illegible]		
स्टाम्प वकालतनामा	1/–		स्टाम्प अरजी	10	
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		
	5			11	